रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012024-251332
CG-DL-E-13012024-251332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945
No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2024

(2024 की सं. 01)

सं. एल-3(2)/विनियम-साधारण(संशो.)/2024/सीसीआई—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के खंड 36 और 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ.-**

    (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2024 है।

    (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 2 में, उप विनियम (1) में खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा:-

(चक) ''अंतवर्ती आवेदन'' से आयोग के समक्ष दाखिल उन मामलों के सिवाय, जो आयोग के कोई आदेश या निदेश के अनुपालन में दाखिल किये गये हैं, अधिनियम की धारा 19 के अधीन संस्थित मामले में दाखिल आवेदन अभिप्रेत है;

3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 15 में, उप विनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

मामले में दाखिल प्रत्येक अंतर्वर्ती आवेदन पंजीकृत और संख्याकित किया जाएगा। ऐसे सभी आवेदनों की 7 दिनों के भीतर संवीक्षा की जाएगी और उनमें त्रुटियां, यदि कोई हो, की संसूचना पक्षकार को दी जाएगी। आवेदन करने वाला पक्षकार उन त्रुटियों को हटाकर उसे संसूचना प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर आवेदन अविधिमान्य माना जाएगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 49 में, उप विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

''(1क) विनियम 15 के उप विनियम (6) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अंतवर्ती आवेदन के साथ संदत्त शुल्क का साक्ष्य संलग्न होगा यथा,-

(क) व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) के मामले में 500 (पाँच सौ) रुपए, या

(ख) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या उपभोक्ता संघ, या सहकारी समिति अथवा न्यास के मामले में 1000 (एक हजार) रुपए, या

(ग) ऐसी फर्म (इसमें प्रोराइटरशिप, पार्टनरशिप अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी शामिल है) या कंपनी (इसमें एकल व्यक्ति कंपनी भी शामिल है) पूर्ववर्ती वर्ष में जिनका कारबार दो करोड़ रुपये का रहा हो, के मामले में 1000 (एक हजार) रुपए,

(घ) अन्य सभी मामलों में 5000 (पांच हजार) रुपए।''

अनुपमा आनंद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./692/2023-24]

टिप्पण:- मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं.आर- 40007/6/विनि-साधारण/अधि/04/सीसीआई तारीख 21 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इन्हें संशोधित करके भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. एल-3 (2)/विनि-साधारण(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 31 मार्च, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 8 नवंबर, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2011/सीसीआई, तारीख 7 अक्तूबर, 2013 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2013/सीसीआई, तारीख 6 दिसंबर, 2018 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2018/सीसीआई, तारीख 20 नवंबर, 2019 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2019/सीसीआई, तारीख 6 फरवरी, 2020 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2022 /सीसीआई, तारीख 6 सितंबर, 2021 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा.(संशो.)/2021/सीसीआई और तारीख 8 अप्रैल, 2022 की सं. विनि-साधा.(संशो.)/2022/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2024

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2024

(No. 01 of 2024)

No. L-3(2)/Regl. -Gen. (Amdt.)/2024/ CCI — In exercise of the powers conferred by Sections 36 and 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General)Regulations, 2009, namely:-

1. Short title and commencement. -

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 2, in sub-regulation (1) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:

(fa) "Interlocutory Application" means an application filed before the Commission in a case instituted undersection 19 of the Act, except those filed in compliance of any order or direction of the Commission;

3. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 15, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

(6) Every Interlocutory Application filed in a case shall be registered and numbered. All such applications shall be scrutinized within 7 days and defects, if any, shall be communicated to the party. The party making application shall remove the defects and submit the same within 5 days from the receipt of communication failing which the application shall be treated as invalid.

In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, regulation 49, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

"(1A) Each Interlocutory Application received under sub-regulation (6) of regulation 15 shall be accompanied by proof of having paid the fee as under, -

(a) Rupees 500 (five hundred) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or

(b) Rupees 1000 (one thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or ConsumerAssociation, or Co-operative Society, or Trust or

(c) Rupees 1000 (one thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one person company) having turnover in the preceding year upto rupees two crore, or

(d) Rupees 5000 (five thousand) in all other cases."

ANUPAMA ANAND, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./692/2023-24]

Note:--- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part Ill, Section 4 *vide* Notification number R-40007/6/ Reg- General/ Noti/ 04- CCI, dated the 21st day of May, 2009 and subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part Ill, Section 4 vide notifications number L-3(2)/ Regln.-Gen. (Amdt.) 2009-10/CCI dated the 20th August, 2009; number L-3(2) Regln.- Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 20th October, 2010; number L-3(2) Regin.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 31st March, 2011; No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI dated the 8th November, 2011; number L-3 (2)/Regln.-Gen.Amdt./2013/CCI dated the 7th October, 2013; number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2018/CCI dated the 6th December, 2018; number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2019/CCI dated the 20th November, 2019; number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2020/CCI dated the 6th February, 2020; number L-(32)/ Regl-Gen. (Amdt.)/2022/-CCI dated the 6th September, 2021 and number. Regln.-Gen. (Amdt.)/ 2022/CCI dated the 8th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.13 13:54:05 +05'30'